

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

32 तारीख दायर 10/08/2020 दिनांक निर्णय 09/09/2020

उनवान

हमका दुष्पी बनाम सोहन सिंह

पत्रावली मु.—नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है।

बंद की जानी है। अतिक्रमी का स. 207.7 का नया कब्जा होना साबित होता है।

कदिल बेदखली है।

है कि—

सोहन सिंह पुत्र/पत्नी हनुमान सिंह

राजपुत निवासी अनावड़ा

खसरा नं. 652 रकबा 0.005 किस्म सितामनक वाके ग्राम.

अनावड़ा से बेदखल किया जाता है, तथा शरह लगान 0.01 की

50 गुणा में मु. 1.00 रुपये कायमी कराई जावे

RA व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावे।

फसल मिलायी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावे।

रा. ले. स. 4 वर्ष. 2020-21  
के पृष्ठ संख्या 25 पर सि. च. 01/-  
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार  
राजगढ़ (तहसीलदार)  
राजगढ़ (अलवर)